राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1142/2025

प्रीति शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, (अराजपत्रित) एवं अतिरिक्त निदेशक (प्रशासनिक), पंचायती राज (चिकित्सा) विभाग, राजस्थान, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.01.2025
आदेश की दिनांक : 17.02.2025

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री रघुनंदन शर्मा, अधिवक्ता

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी की पहली शादी 26–04–2016 को हुई थी। विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (बी) के तहत 08–01–2018 को आपसी तलाक की डिक्री ली गई थी। (अनुलग्नक–2 व 3) तलाक के बाद, अपीलार्थी ने वर्ष 2018 में तलाक श्रेणी में नर्सिंग अधिकारी के पद के लिए आवेदन किया और अपीलार्थी का चयन हुआ तथा अपीलार्थी ने दिनांक 04–04–2021 को सीएचसी निवाई टोंक में नर्सिंग अधिकारी के रूप में सेवाएं शुरू कीं। दिनांक 25–02–2020 को अपीलार्थी की दूसरी शादी राहुल शर्मा के साथ हुई थी। अपीलार्थी के पति ने पारिवारिक न्यायालय संख्या 1 जयपुर मेट्रो जयपुर के समक्ष अपीलार्थी के खिलाफ तलाक पिटीशन दायर की गई है, जबकि पति सहित ससुराल वालों द्वारा शारीरिक और मानसिक क्रूरता की जा रही है। (अनुलग्नक–4) अपीलार्थी की सास और ससुर

ने पति सहित अपीलार्थी के खिलाफ मामला दायर किया। जिसमें अदालत में सुनवाई हेतु उपस्थित होना पड़ता है। प्रत्यर्थी संख्या 2 द्वारा आलौच्य आदेश दिनांक 15–01–2025 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी को सीएचसी निवाई टोंक से उप जिला अस्पताल, पूगल, बीकानेर में स्थानांतरित कर दिया गया था।

अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावे कि अपीलार्थी के संबंध में जारी आदेश दिनांक 15–01–2025 को अपास्त फरमाया जावे एवं अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापित स्थान सीएचसी निवाई टोंक में कार्यरत रखा जावे।

हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थी द्वारा आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के विरूद्ध अनुतोष चाहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को सीएचसी निवाई टोंक से उप जिला अस्पताल, पूगल, बीकानेर में स्थानांतरित किया गया। अपीलार्थी के संबंध में दर्ज मामलों की स्थिति के दृष्टिगत प्रकरण में हम न्यायहित में यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थी दो सप्ताह में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में दो सप्ताह में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर दो सप्ताह में निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी की उक्त वर्णित स्थिति के दृष्टिगत नियमानुसार नियत समयावधि में अभ्यावेदन का निस्तारण होने तक अपीलार्थी के सम्बन्ध में आलोच्य स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) स्थगित किया जाता है। यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि में अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य